न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-645RAAJodhpur2025-288RTA223 Gobarram Vs Lrs of Gopalram etc

गोबरराम पुत्र श्री तिलाराम जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

स्व. गोपालराम सोनी पुत्र स्व. श्री अचलाराम जी सोनी के कायम मुकाम –

1. मंजू सोनी पत्नी देवराज सोनी एवं पुत्री गोपालराम सोनी
2. मोनिका सोनी पत्नी हेमराज सोनी एवं पुत्री गोपालराम सोनी
3. चन्दु सोनी पत्नी राधेश्याम सोनी एवं पुत्री गोपालराम सोनी
4. लीला सोनी पत्नी हेमन्त सोनी एवं पुत्री गोपालराम सोनी
5. गोमती सोनी पत्नी गजराज सोनी एवं पुत्री गोपालराम सोनी
6. मुन्नी सोनी पुत्री गोपालराम सोनी
7. पूनम सोनी पत्नी शिवप्रकाश एवं पुत्री गोपालराम सोनी
8. जया सोनी पुत्री गोपालराम सोनी
9. भूवनेश्वरी सोनी पुत्री गोपालराम सोनी
10. जयेश सोनी पुत्र गोपालराम सोनी
11. यश सोनी पुत्र गोपालराम सोनी
12. श्रीमती केशर सोनी पत्नी गोपालराम सोनी

    सभी जातियान सोनार, निवासीगण सेक्टर 5/1ई, न्यू हाउसिंग बोर्ड, पाली राजस्थान
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2021 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 32/2014 गोपालराम सोनी के कायम मुकाम मंजु सोनी इत्यादि बनाम गोबरराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 15 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2014 अनवान गोपालराम सोनी के कायम मुकाम मंजु व अन्य बनाम गोबरराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह के पिता गोपालराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजीयात गांव गंगाणी तहसील बावड़ी के खेत खसरा नंबर 2067 रकबा 8 बीघा पूर्व में राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज भूमि थी, जिसका कुल रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा था। उक्त भूमि में से 8 बीघा भूमि दिनांक 23.06.1962 को वादी के पिता अचलाराम को आवंटित की गई व उसका नाम जमाबन्दी सम्वतः 2019 से 2022 में दर्ज किया गया तथा दूसरी जमाबन्दी में रकबा राज के रूप में 10 बीघा 7 बिस्वा दर्ज की गई, उसके बाद बिना किसी आवंटन आदेश के तिलीया जो प्रतिवादी का पिता था, के नाम नामान्तरकरण संख्या 256 दर्ज कर जमाबन्दी सम्वतः 2027 से 2030 की अवधि तिलीया की खातेदारी में सम्पूर्ण रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा दर्ज कर दिया गया एवं वादी के पिता का नाम हटा दिया गया। खसरा नंबर 2067 के 8 बीघा भूमि भाग पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी द्वारा अपनी इस्तदुआ में वादग्रस्त आराजीयात में रकबा 8 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2021 के जरिये वादीगण के वाद को स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दावे की सुनवाई का कोई नोटिस जारी किये बिना, विधिविरूद्ध तरीके से उसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसे सुनवाई से वंचित रखते हुए एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलार्थी के पिता तिलीया को खसरा नंबर 2067 का आवंटन किया गया एवं उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। वादी के पिता को कोई आवंटन कभी भी नही किया गया एवं न किया जा सकता था, क्योकि वादी का पिता न तो पेशेवर कृषक था एवं न वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। उक्त खसरे का आवंटन केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम ही किया जा सकता था एवं इसके लिए यह भूमि आरक्षित थी। वादी के पिता सोने चांदी का धन्धा करते थे तथा उनका कार्य खेती करना था ही नही। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो आवंटन आदेश की फोटो प्रति पेश की है, उसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादी के पिता के नाम कोई आवंटन नही किया गया एवं न उसके नाम से कोई नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। कानूनन बिना नामान्तरकरण के सीधे जमाबन्दी में कोई इन्द्राज किये ही नही जा सकते थे। वादी के पिता ने राजस्व कर्मचारियो से मिलावट करके स्वयं के नाम से कोई इन्द्राज करवाये है तो इनकी कोई कानूनी एहमीयत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयो की फोटो प्रतियो को आधार मानकर फैसला दिया गया है, जबकि कोई मूल रेकर्ड तलब ही नही किया गया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रतियां का कोई महत्व ही नही है। प्रतिवादी अनुसूचित जाति का तथा भूमिहीन काश्तकार है। राजस्व रेकर्ड में भूमि राजकीय खाते में दर्ज होने से उसके नाम से 18 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का आवंटन किया गया एंव उसी के आधार पर राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण वर्षों पूर्व इन्द्राज किये गये जो सब वादी की जानकारी में था। अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली की आज्ञा सूचियो में राजस्व अभियान के समय प्रतिवादी का उपस्थित होना लिखा गया है, किसी अन्य व्यक्ति का अंगुष्ठ निशान लगाया गया है जो अपीलार्थी का नही है। अपीलार्थी कभी भी राजस्व कैम्प में उपस्थित नही हुआ एवं न उसे दावे के बारे में कोई जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में करते हुए फैसला किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि मामले मे पत्रावली एक न्यायालय से दुसरे न्यायालय में स्थानान्तरित हुई है। अपीलार्थी को किसी भी न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस नही मिला एवं न वह कभी पेशी पर हाजिर हुआ। खसरा नंबर 2067 की सम्पूर्ण भूमि रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त है एवं मकान बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादी के जबानी कथनो को आधार मानकर फैसला कर दिया, जबकी वादी का वाद कानूनन पोषणीय ही नही था। वादी का खसरा नंबर 2067 की भूमि के किसी भी भाग पर कभी भी कोई कब्जा या काश्त नही रहा तथा आज दिन भी नही है। कब्जे के अभाव में वादी का दावा चलनेः योग्य ही नही था, न वादी ने दावे में कब्जे का कोई अनुतोष मांगा गया है। इन परिस्थितियो में दावा हर सुरत में खारिज होने योग्य था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की मंशा के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। वादी न तो भूमि का टिनेन्ट है एवं न उसे टेनेन्ट घोषित किया जा सकता है। अपीलाधीन डिक्री के जरिये अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी की भूमि का अन्य जाति के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना, पत्रावली एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित होने की सूचना दिये बिना तथा उसे साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट को दिनांक 07.10.2025 को पेशी का नोटिस मिलने पर उसने दिनांक 24.09.2025 को बावड़ी जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि वहां पर इजराय की कार्यवाही विचाराधीन होना बताया गया एवं बताया गया कि दिनांक 23.07.2021 को फैसला वादी के पक्ष में हुआ है। तब अपीलांट ने फैसले की नकल हेतु अर्जी पेश करवायी एवं दिनांक 25.09.2025 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे एवं आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनाक 23 जुलाई 2021 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 23.06.1962 को वादी के पिता अचलाराम को आवंटित की गई एवं वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो गया एवं जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में वादी के पिता को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। आगामी जमाबंदी चौसालों वादग्रस्त आराजीयात बिना किसी आवंटन आदेश के तिलिया जो प्रतिवादी का पिता था, के नाम नामान्तरकरण संख्या 256 के जरिये दर्ज कर जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 की अवधि में तिलिया के खातेदारी में इस खसरे का सम्पूर्ण रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा दर्ज कर दी एवं वादी के पिता का नाम विलोपित कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 2067 रकबा 8 बीघा भूमि पर तिलिया का कब्जा काश्त भी नहीं था और न ही वर्तमान में उनका कब्जा है। उक्त खसरा आज भी दो भागों में मौके पर बंटा हुआ है जिसके एक भाग का रकबा 8 बीघा क्षेत्रफल का, जिस पर वादी का कब्जा है व दूसरा 10 बीघा 7 बिस्वा पर प्रतिवादी का कब्जा है। वादी के पिता का नाम खातेदारी से बिना किसी न्यायालय के आदेश के हटा दिया जो राजस्व कर्मचारियों की कारस्तानी या त्रुटी ही रही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवायी गई तथा अपीलांट लोक अदालत केम्प में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अपनी उपस्थिति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किये है। तत्पश्चात अपीलांट के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवंटन आदेश के जरिये अपीलांट के दादा तिलीया वल्द धुला की खातेदारी में दर्ज होना प्रकट होती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली सहायक कलक्टर भोपालगढ से सहायक कलक्टर बावड़ी को स्थानांतरित होने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी करने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में अपीलांट पर सम्मन जारी किये जाने, सम्मन तामील/अदम तामील प्राप्त होने बाबत किसी प्रकार की रिपोर्ट/अंकन विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जहां तक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलांट लोक अदालत केम्प में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उक्त आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने बाबत अपीलांट कोई सम्मन जारी नहीं किये गये है एवं उक्त आदेशिका पर भी केवल अंगुष्ठ निशान मौजूद है। अपीलांट की पहचान किसी भी व्यक्ति/सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी दस्तावेज के जरिये पुष्ट नहीं की गई है, जिससे उक्त उपस्थिति को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा विधि में निहित प्रावधानोनुसार वाद का निस्तारण किये जाने के बजाय अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादीगण की एकपक्षीय बहस के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानो के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2014 अनवान गोपालराम सोनी के कायम मुकाम मंजु व अन्य बनाम गोबरराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2021 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर